भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5972
(जिसका उत्तर गुरुवार, 2 मई, 2013/12 वैशाख, 1935 (शक) को दिया गया)

फर्जी कंपनियां

5972 श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निवेशकों को धोखा देकर और करोड़ों रुपए लेकर रातों-रात गायब होने वाली फर्जी कंपनियों के विरूद्ध नए कंपनी कानून में सख्त उपबंध अधिनियमित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उपर्युक्त प्रावधानों को कब तक अधिनियमित किया जाएगा?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (घ) : अधिनियम तथा नियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं कि कंपनियां इस तरह से कार्य करें/धन जुटाएं कि वह पारदर्शी और जवाबदेह हों तथा कंपनी अधिनियम और सेबी अधिनियम तथा इनामी चिट एवं धन परिचालन (पाबंदी) अधिनियम आदि के अनुरूप हों।

सरकार ऐसी कंपनियों (और उनके निदेशकों) के विरूद्ध भी कार्रवाई कर रही है जो जनता से धनराशि एकत्र करने के बाद गायब हो जाती हैं। सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की सह-अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वयन एवं निगरानी समिति (सीएमसी) 'लुप्त कंपनियों' की पहचान करने के प्रयासों की निगरानी और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का जायजा लेती है।

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली चूककर्ता कंपनियों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63/68 और 628 के अंतर्गत अभियोजन दायर करने के अलावा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 159/220 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों की सहायता लेने तथा प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई है। उक्त समिति द्वारा सभी हितधारकों से सूचना भी प्राप्त की जाती है और निरंतर आधार पर उपयुक्त प्रक्रियात्मक समायोजन किए जाते हैं तथा उसे कार्यान्वित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2012 जिसे लोक सभा द्वारा दिनांक 18.12.2012 को पारित किया गया है और जिसे शीघ्र ही राज्य सभा द्वारा विचार और पारित किए जाने की संभावना है, में अधिक प्रकटीकरण, कंपनियों और उनके प्रबंधकीय कार्मिकों की उच्चतर जवाबदेही, क्लास एक्शन तथा निवेशक शिक्षा एवं कोष की विस्तृत सांस्थानिक भूमिका के माध्यम से निवेशकों के हित के संरक्षण का प्रावधान है।

संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद, संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार किए जाने वाले संगत नियमों के साथ-साथ नया कानून अधिसूचित किया जाएगा।

*****